Sir, the word 'basmati', I reiterate is used for long range aromatic rice grown in Punjab, Haryana, Uttarakhand, Western U.P. and parts of Jammu & Kashmir. I say this, Sir, because there is a great move, there is a demand, there is a desire to expand the definition of what is basmati rice. Today, rice grown in Madhya Pradesh, rice grown in Kerala, rice grown in Karnataka is being claimed as basmati rice. Sir, this makes a mockery of the word 'basmati'. I appeal to the hon. Members of the House that let us restrict basmati to the Himalayan foothills and not define basmati in such a general way that it makes the protection totally meaningless. I say this, Sir, because I have got requests from various Members of Parliament belonging to some different States saying that their rice should also be classified as basmati rice. I make a humble plea to all such Members not to expand the definition of basmati to make it completely meaningless; otherwise, we will not be able to provide protection for this word 'basmati rice'.

With these few words, Sir, I commend this Bill to the House.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Further consideration of the Bill be taken up at 2 o' clock. The House is adjourned for lunch till 2 o' clock.

The House then adjourned for lunch at forty-six minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

STATEMENT BY MINISTER

Accident due to Derailment of 2841 Howrah—Chennai Coromondal Express at Jajpurkeonjhar Road Station of East Coast Railway on 13.02.2009

MR. DEPUTY CHAIRMAN: *Suo motu* statement by the Minister of Railways, Shri Lalu Prasad.

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि दिनांक 13.2.2009 को सायं लगभग 7 बजकर 50 मिनट पर जब 2841 अप हावड़ा-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस जाजपुर क्योंझर रोड स्टेशन पार कर रही थी, उसी समय गाड़ी के इंजन एवं 16 डिब्बे पटरी से उतर गए जिनमें से इंजन सहित 7 डिब्बे पलट गए। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस दुर्घटना में 9 यात्रियों की मृत्यु हो गई, 5 यात्री गम्भीर रूप से घायल हो गए और 121 यात्रियों को साधारण चोटें आईं। घायल यात्रियों को जाजपुर क्योंझर तथा कटक के सरकारी अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। इनमें से 77 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

घटना की सूचना मिलते ही खुर्दा रोड और भद्रक से राहत एवं बचाव कार्य दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। महाप्रबंधक, पूर्व तटीय रेलवे तथा मंडल रेल प्रबंधक, खुर्दा रोड संबंधित अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा रेल राज्य मंत्री श्री आर. वेलू जी, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सदस्य इंजीनियरिंग तथा महानिदेशक, रेल स्वास्थ्य सेवा तत्काल घटना-स्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया, घायलों एवं मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात की तथा सभी आवश्यक उपचार व्यवस्था निःशुल्क कराने के लिए निर्देश दिए।

मानव त्रासदी की गम्भीरता को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को पांच लाख रुपए, गम्भीर रूप से घायल यात्री को पचास हजार रुपए और साधारण रूप से घायल यात्री को दस हजार रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। उक्त अनुग्रह राशि के अलावा मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को रेल दावा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित चार लाख रुपए तक की राशि का मुआवजा भी अलग से देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मृतक के परिवार के एक आश्रित सदस्य को रेलवे में नौकरी भी दी जाएगी॥

इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा भी इस दुर्घटना की वैधानिक जांच की जाएगी। सभी महाप्रबंधकों को इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए पर्याप्त सावधानियां बरतने के आदेश दिए गए हैं।

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, there is a convention in the House that whenever a Minister makes a Statement, there is an opportunity to seek supplementaries. But, now, we are, I suppose, going to take up the next business. So, I would like to request that a specific time should be given for seeking clarifications on this issue.

श्री उपसभापति : जब रेलवे बजट पर डिसकशन होगी, उस वक्त ही क्लैरीफिकेशंस दे देंगे।

श्री लालू प्रसाद : जांच रिपोर्ट तब तक आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो जो घटना घटित हुई है, उस पर जांच रिपोर्ट की कॉपी बाद में रख देंगे।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : वह तो बाद की बात है, लेकिन घटनाएं घटित क्यों होती हैं।...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद : अब बीच में कैसे कर दें?

The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Bill, 2008 ***(Contd.)***

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : महोदय, मैं The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Bill 2008 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, हमने गैट का रिजीम देखा। गैट के साथ-साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद जब वर्ल्ड के लीडर्स ने कुछ फैसले किए, भविष्य की दुनिया में देशों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए और क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर विचार-विमर्श हुआ तो गैट बनाया गया। उसी पर तरह-तरह के प्रावधान बनाए गए, तरह-तरह के कानून बने, तरह-तरह के विधेयक बने और एक इंटरनेश्नल कंपैटेबिलिटी को लेते हुए, इंटरनेश्नल लैवल पर एक ही तरह के कानून कैसे बन सकें और कैसे एक दूसरे के सहायक सिद्ध हो सकें, उसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया था। लेकिन शुरू में बनते वक्त भी उसमें अड़चनें आयीं और बनने के बाद उसमें अड़चने और बढ़ गयीं।

हमारे सामने आज जो मुद्दा है, वह मुद्दा है कि एपिडा के अमेंडमेंट के माध्यम से हम geo-indications या ज्यॉग्राफिकल इंडीकेशंस में बासमती को लाने का प्रावधान करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यह भारत देश जो हल्दी चन्दन का देश है, जहां नीम के तले हमारे विद्वान पंचायतों में बैठते हैं, बरगद के नीचे पंचायतों के फैसले होते हैं, जहां पीपल की पूजा होती है और जहां तुलसी को रोज आराध्य मानकर जल चढ़ाया जाता है, उस देश में जो यहां की bio-diversity heritage है उसको जब प्रोटेक्ट करने की बात आई तो हम फेल हो गए। हमने देखा जब यह न्यू वर्ल्ड आर्डर आया, जब पेटेंट का जमाना आया तो मैंने इसी सदन में यह बात उठाई थी, उस टाइम के तत्वाधान में पी0वी0 नरसिंह राव जी मंत्री थे और वे मीटिंग में जा रहे थे, और वहां मैंने यह बात उठाई कि आप वहां जाकर यह सवाल उठाएं कि "जीरो" की रायल्टी हिन्दुस्तान को मिलनी चाहिए, क्योंकि axis of Earth बताने वाला आर्यभट्ट है। लेकिन उस आर्यभट्ट की भाषा को हम दुनिया